कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 540 / तकनीकी–04 / 2016

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2016

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन प्रकरणों का निराकरण।

उपर्युक्त विषयांतर्गत यह देखा गया है कि स्टाम्प प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला पंजीयकों द्वारा उप पंजीयकों को पेशी देकर अनेक बार उनके कथन, परीक्षण तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु बुलाया जा रहा है।

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून–मूल्यांकन निवारण) नियम, 1975 के अर्न्तगत संपत्ति का स्थल निरीक्षण स्वयं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स द्वारा किये जाने का प्रावधान है। उक्त नियमों के नियम 4 में अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया तथा नियम 5 में संपत्ति का बाजार मूल्य अवधारित करने हेतु सिद्धांत उल्लिखित किये गये हैं। इनका पालन किया जाना एक विधिक अनिवार्यता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज के साथ भेजे गए निर्देश अथवा टीप के समर्थन में शासन पक्ष में उससे आवश्यक जानकारी अथवा अभिलेख अवश्य मांगे जा सकते हैं।

सम्पदा ई–पंजीयन के अंतर्गत पक्षकारों को उनकी सुविधा अनुसार समय–स्लॉट लेने की सुविधा प्रदान की गई है, इसे दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि उप पंजीयक अपने कार्यालय में उपस्थित रहें। उन्हें अनावश्यक रूप से पेशी पर बुलाये जाने से रजिस्ट्रीकरण का कार्य प्रभावित होता है और पक्षकारों को असुविधा होती है।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 541 / तकनीकी–04 / 2016

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश